

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारा (राज.)

पत्र/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
78/17	88, 89, 91, 92 A (86A) की	छबड़ा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रमेश	बनाम	हरिचरण	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
9/12/17	वकील की द्वारा पत्रक अंतर्गत धारा 88, 89, 91, 92 A (86A) विरुद्ध प्रतिवादी को न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मजिस्ट्रेट को पेश किया गया। तलब कर प्रकरण दिनांक 17/10/17 को पेश है।	
17/10/17	आप्त पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 20-12-17 को पेश हो।	आप्त पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 27-3-18 को पेश हो।
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),
27/3/18	आप्त पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18-5-18 को पेश हो।	
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा),	
5/10/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 पत्रावली के माध्यम से (नं. 22/17) के पेशाद्वारा विवाद आरंभ। वादीगण रमेश रामलाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार (नं. 1) के तहत जो रकम है, मुझे वादे के तहत है, एवं प्रतिवादी गण की तलबी हेतु तलावाग पेश करें, वास्तव तलबी रिपन हुआगरी रिपत दिनांक 12/6/18 को पेश हो।	सूचक संख्या 104/2018

REG-

13⁰¹/₂

अपने पीतामीने अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक... 31.12.21 ...को पेश हो।

9/11
न्यायालय सहायक अधिकारी
छबड़ा (बारा)

31.12.21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिकर्षी गणों की तलबी हेतु रजि. नं. 117 तलबी की भीत ही पेश करी। कास्ट तलबी तलबी पत्रावली दिनांक 15/3/21 को पेश हो। पूर्व में कई अवसर दिने जी दुके है प्रकरण नं. 17 से तलबी के लाञ्छित चल रहा है। पत्रावली दिनांक 15/3/21 को पेश हो।

का

15/3/21

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। तीन बार आवक लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम हाजरी अदम पेश की खारिज किया जाता है पत्रावली फेशल शुभार होकर दारिक्त दपतर हो।

का

15